269

पक्षकारों एवं आदि के हस्ताक्षर

**न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर खण्डपीठ रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)**

**निगरानी प्रकरण क्रमांक ............/2016**

R-5034-II/16

(1) रामदुलारे तनय वासुदेव परौहा उम्र लगभग 70 वर्ष

(2) अजय कुमार परौहा तनय रामदुलारे परौहा उम्र लगभग 40 वर्ष

(3) इन्द्र कुमार परौहा तनय रामदुलारे परौहा उम्र लगभग 28 वर्ष

सभी निवासी स्टेशन रोड अमदरा थाना अमदरा तहसील मैहर जिला सतना (म.प्र.)

..... निगराकारान

बनाम

प्रहलाद आत्मज बिहारीलाल उरमलिया उम्र लगभग 48 साल निवासी स्टेशन रोड अमदरा थाना अमदरा तहसील मैहर जिला सतना (म.प्र.) ..... गैर निगराकार

श्री महेन्द्र कुमार ... द्वारा आज दिनांक 22-1-16 को प्रस्तुत किया गया।

रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

<u>राजस्व निरीक्षक वृत्त अमदरा के रा.प्र.क्र.26अ12/14-15 में पारित आदेश दिनांक 24.07.15 के विरूद्ध निगरानी।</u> (24/7/15)

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.1959</u>

मान्यवर,

निवेदन है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय के रा.प्र.क्र. 26अ12/14-15 में पारित आदेश दिनांक 14.07.2015 जिसकी जानकारी दिनांक 08.01.2016 को निगराकारान को हुई जिस आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका संक्षिप्त विवरण यह है कि गैर निगराकार ने भूमि खसरा नंबर 254/1ख रकवा 0.015 हे. वाका ग्राम अमदरा तहसील मैहर जिला सतना (म.प्र.) के सीमांकन हेतु राजस्व निरीक्षक वृत्त अमदरा के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसकी सूचना निगराकारान को नही दी गई और उन्हें बिना सूचना दिये हुए उनके अनुपस्थिति में अवैध रूप से मनमाने तरीके से सीमांकन का पंचनामा, प्रतिवेदन आदि तैयार किया और राजस्व निरीक्षक द्वारा उसकी पुष्टि की गई। चूंकि उक्त सीमांकन प्रतिवेदन में निगराकारान द्वारा माकान की सीढ़ी एवं रिक्त भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने बावत लेख किया गया जिससे परिवेदित होकर निगराकारान यह निगरानी श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं जिसके आधार निम्नलिखित हैं :-

## <u>निगरानी के आधार</u>

(1) यह कि राजस्व निरीक्षक अमदरा तहसील मैहर जिला सतना (म.प्र.) द्वारा की गई सीमांकन कार्यवाही पूर्ण रूप से निगराकारान के हित के विरूद्ध होने से व विधि अनुकूल न होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(269)

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R–5034-II/16 जिला–.सतना

रामदुलारे/ प्रहलाद उरमलिया

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 18.12.18. | 1. आवेदक की ओर से श्री महेन्द्र कुमार अग्निहोत्री अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त अमदरा, वृत्त मैहर जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 26/अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 24.07.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 16.02.19 को कलेक्टर, जिला सीधी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।<br><br>सदस्य | |